



**Address :**

4<sup>th</sup> Floor Block A PICUP Bhawan,  
Lucknow, Uttar Pradesh 226010

**Phone No.:** +91-522-2720236, 2720238

**Email:** info[at]investup[dot]org[dot]in

**Website -** <https://invest.up.gov.in/>



उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2022

## प्रमुख बिन्दु

श्रेणी	न्यूनतम पात्रता आवश्यकताएं	प्रोत्साहन
किसान समूह	क्लस्टर क्षेत्र क्लस्टर 50 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण तथा निर्यात दायित्व पूरा करने पर ₹10 लाख।
	100 हेक्टेयर से अधिक तथा 150 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण तथा निर्यात दायित्व पूरा करने पर ₹16 लाख।
	150 हेक्टेयर से अधिक तथा 200 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण तथा निर्यात दायित्व पूरा करने पर ₹20 लाख।
	200 हेक्टेयर से अधिक तथा 250 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण तथा निर्यात दायित्व पूरा करने पर ₹28 लाख।
	250 हेक्टेयर से अधिक तथा 300 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण तथा निर्यात दायित्व पूरा करने पर ₹34 लाख।
	300 हेक्टेयर से अधिक तथा 350 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण तथा निर्यात दायित्व पूरा करने पर ₹40 लाख।
उपरोक्त के अनुसार, यदि क्लस्टर का क्षेत्रफल बढ़ता है, तो 6 लाख रुपये की राशि में वृद्धि की अनुमति दी जाएगी।		
इसमें से 40 प्रतिशत पहले वर्ष में तथा 15 प्रतिशत अगले 04 वर्षों के लिए निर्यात पर है।		

### पारिस्थितिकी तंत्र (इको सिस्टम) समर्थन:

- क्लस्टरों के निकट स्थापित की जाने वाली नई प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निर्यात आधारित प्रोत्साहन प्रावधान।
- कृषि उपज और प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात के लिए परिवहन सब्सिडी।
- निर्दिष्ट कृषि उपज पर मंडी शुल्क और विकास उपकर (सेस) से छूट।
- कृषि निर्यात/पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स संचालित करने पर प्रोत्साहन।
- पैकेजिंग सामग्री के डिजाइन, मुद्रण, विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन।
- निर्यात योग्य कृषि उपज की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता को प्रोत्साहन देना, निर्यात योग्य उपज की एक ट्रेसेबिलिटी प्रणाली स्थापित करना।
- निर्यात सुविधा केंद्रों की स्थापना।
- सूचना प्रसार और क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग)।
- व्यवसाय, स्टार्ट-अप और निवेश संवर्धन को प्रोत्साहित करना।
- अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) का आयोजन करने वाले प्रचार कार्यक्रम।
- मार्केट इंटेलिजेंस, इनोवेशन एंड रिसर्च
- अच्छी कृषि पद्धतियों का कार्यान्वयन।



**नोडल एजेंसी: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश**